श्री मुरारी पासवान, माननीय स०वि०स० द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित याचिका संख्या–214/26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र के बरेश्वर स्थान में वर्ष 1977 ई० में गंगा पम्प नहर परियोजना की आधारशिला तत्कालीन जल संसाधन मंत्री सदानन्द सिंह ने रखी थी। उन्होंने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। आज 30 वर्ष बीत जाने और भारी–भड़कम लगभग 828 करोड़ की राशि खर्च होने के बावजूद परियोजना अधर में लटका हुआ हैं। किसानों के सिंचाई की सुविधा नहीं होने से दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। पानी की व्यवस्था सुलभ नहीं होने से यहां पर किसानों मात्र एक फसल का उत्पादक कर पाते हैं। मात्र एक फसल से तथा इनकी परिवारिक जीवनयापन करने में आर्थिक क्षति तो होता है काफी परेशानी भी झेलना पड़ता हैं। अतः हमलोगों द्वारा बिहार विधान सभा की याचिका समिति से प्रार्थना है कि उक्त परियोजनाओं को यथा शीघ्र चालू कर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।	वस्तुस्थिति यह है कि :– • बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना बिहार एवं झारखंड राज्यों की एक संयुक्त योजना है, जिससे बिहार राज्य के भागलपुर जिला में 18620 हे० तथा झारखंड राज्य के गोड्डा जिला में 4038 हे० कमाण्ड क्षेत्र में अर्थात कुल 22658 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी है। • वर्ष 1977 में योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 13.88 करोड़ रुपये की लागत से योजना की स्वीकृति दी गयी, जिसके उपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु वांछित भू–अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। भू–अर्जन के क्रम में जनावरोध एवं कुछ स्थानों पर नहर के रेखांकण में परिवर्तन के कारण भू–अर्जन की कार्रवाई वर्ष 2007 में पूर्ण हो सकी। परन्तु कुछ रैयतों द्वारा वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उन्हें भू–अर्जन के विरूद्ध मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सका, जिसके फलस्वरूप संबंधित मुआवजा की राशि प्राधिकार, भागलपुर में जमा कर दिया गया। • वर्ष 2008 में बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर परियोजना हेतु राशि 389.31 करोड़ रुपये की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की गयी, जिसके आलोक में पम्प हाउस–I, II/मुख्य नहर/शाखा नहर–II/कुशापुर माईनर/हरिशचन्द्रपुर नहर के कुछ भाग का निर्माण कराया गया। • वर्ष 2018 में योजना के अवशेष कार्य हेतु राशि 176.18 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की गयी। योजना कार्य के दौरान नये दर पर मुआवजा राशि के भुगतान की मांग के कारण जनावरोध, न्यायिक मामलों एवं तकनीकी समस्याओं के कारण कतिपय नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। • वर्तमान में योजना को पूर्ण करने के उद्देश्य से माह दिसम्बर, 2025 में योजना के गहन विश्लेषण हेतु एक त्रिसदस्यीय कमिटी का गठन किया गया, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया गया है। • प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यथोचित कार्रवाई करते हुये इस योजनांतर्गत सभी नहर प्रणाली का कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुये योजना के सम्पूर्ण निर्धारित कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

Y

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–04–18/2026 पटना/दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–421 दिनांक–15.04.2026 के आलोक में याचिका सं0–214/26 का उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–04–18/2026 पटना/दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–04–18/2026 पटना/दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–04–18/2026 3063 पटना/दिनांक :..4/6/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव